/font>

Title: Need for effective implementation of Right to Information Act.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गत, दिनों विश्व बैंक द्वारा भारत की आलोचना की गई थी। भारत सरकार की ओर से इस आलोचना का माकूल जवाब भी दे दिया गया, जिसे मैं समयोचित ही मानता हूं, किन्तु धरातल के तथ्यों के प्रति आंख बन्द करने से विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। पूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अन्तिम वर्ा में सदन में आश्वासन दिया था कि वे आम आदमी को सूचना का अधिकार दिलाने के लिए विधेयक अगले सत्र अर्थात् शीतकालीन सत्र में लाएंगे। उनका प्रधानमंत्रित्व काल समाप्त हो गया। बाद की सरकारें आईं और उन्होंने भी इस विधेयक के प्रति स्वीकृति दी। वर्तमान सरकार द्वारा गत लगभग तीन वर्ा पूर्व यह विधेयक सदन में लाया गया और विधेयक सिलैक्ट कमेटियों में लम्बी यात्रा करता हुआ गत वर्ा पास भी हो गया। माननीय राट्रपति जी द्वारा सहमति भी दे दी गई, किन्तु विधेयक के उद्देश्य के अनुसार देश का आम नागरिक अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाया है। विधेयक संसद में पास हो जाने के बाद, जो प्रक्रियाएं होती हैं वे अभी तक लगभग छः माह बाद भी पूरी नहीं की गई हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब इन प्रक्रियाओं को पूरा कर देश के आम आदमी को लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करें।